



**बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का तुलनात्मक विश्लेषण
(उच्च शिक्षा के विशेष संदर्भ में)**

अमिता रस्तोगी

(शोधार्थी, स्कूल ऑफ एजुकेशन, संस्कृति विश्वविद्यालय, मथुरा)

प्रोफेसर रेनू गुप्ता

(डीन, स्कूल ऑफ एजुकेशन, संस्कृति विश्वविद्यालय, मथुरा)

Paper Received On: 20 MAY 2026

Peer Reviewed On: 24 JUNE 2026

Published On: 01 JULY 2026

Abstract

भारत की शैक्षिक परम्परा विश्व की प्राचीनतम एवं समृद्ध ज्ञान-परम्पराओं में से एक रही है। बौद्धकाल में शिक्षा को धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित न रखकर व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक एवं व्यावहारिक विकास का माध्यम बनाया गया। नालन्दा, विक्रमशिला, वल्लभी, ओदन्तपुरी, सोमपुर और जगदल जैसे बौद्ध महाविहारों ने उच्च शिक्षा के संगठित, आवासीय, बहुविषयक तथा अन्तरराष्ट्रीय स्वरूप को विकसित किया। इन संस्थानों में बौद्ध दर्शन के साथ व्याकरण, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, गणित, खगोलशास्त्र, भाषा, साहित्य, कला, शिल्प और शासन जैसे विषयों का अध्ययन कराया जाता था। दूसरी ओर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भारतीय उच्च शिक्षा को बहुविषयक, समग्र, लचीला, कौशलपरक, शोधोन्मुख, प्रौद्योगिकी-सक्षम और मूल्याधारित बनाने का लक्ष्य प्रस्तुत करती है। नीति का उद्देश्य भारतीय ज्ञान-परम्परा से प्रेरणा लेते हुए भारत को वैश्विक ज्ञान-महाशक्ति के रूप में विकसित करना है। प्रस्तुत शोध-पत्र में ऐतिहासिक एवं वर्णनात्मक पद्धति के आधार पर बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उच्च शिक्षा सम्बन्धी प्रावधानों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में शिक्षा के उद्देश्य, संस्थागत संरचना, पाठ्यक्रम, शिक्षण-पद्धति, शिक्षक-विद्यार्थी सम्बन्ध, प्रवेश व्यवस्था, अनुशासन, मूल्य शिक्षा, बहुभाषिकता, शोध, अन्तरराष्ट्रीयकरण, कौशल-विकास, समावेशन, मूल्यांकन तथा संस्थागत स्वायत्तता जैसे आयामों को आधार बनाया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि दोनों व्यवस्थाएँ समग्र व्यक्तित्व-विकास, बहुविषयक अध्ययन, नैतिकता, संवाद, स्वाध्याय, शिक्षक की मार्गदर्शक भूमिका और अन्तरराष्ट्रीय ज्ञान-विनिमय को महत्त्व देती हैं। तथापि बौद्धकालीन शिक्षा मुख्यतः मठों और संघों पर आधारित थी, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लोकतांत्रिक, सार्वभौमिक, तकनीकी तथा व्यापक जनसमूह के लिए सुलभ उच्च शिक्षा की परिकल्पना करती है। निष्कर्षतः बौद्धकालीन शिक्षा की नैतिकता, करुणा, विमर्श, आवासीय विद्वत् समुदाय और ज्ञान-साधना को आधुनिक विज्ञान, डिजिटल प्रौद्योगिकी, समान अवसर एवं संवैधानिक मूल्यों के साथ समन्वित करके भारतीय उच्च शिक्षा को अधिक मानवीय, गुणवत्तापूर्ण और विश्वस्तरीय बनाया जा सकता है।

मुख्य शब्दावली: बौद्धकालीन शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, उच्च शिक्षा, नालन्दा, बहुविषयक शिक्षा, मूल्य शिक्षा, भारतीय ज्ञान परम्परा।

प्रस्तावना

भारतीय शिक्षा का इतिहास केवल ज्ञान के हस्तांतरण का इतिहास नहीं है, बल्कि यह मनुष्य, समाज, प्रकृति और नैतिक जीवन के पारस्परिक सम्बन्धों की खोज का इतिहास भी है। प्राचीन भारत में शिक्षा को आजीविका प्राप्त करने का साधन मात्र न मानकर आत्मविकास, आत्मानुशासन, सामाजिक उत्तरदायित्व और सत्य की खोज का माध्यम माना गया। वैदिक काल के पश्चात् बौद्धकाल में शिक्षा की संस्थागत संरचना, विषय-वस्तु, शिक्षण-पद्धति तथा सामाजिक पहुँच में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। बौद्ध धर्म के उदय ने ज्ञान को कर्मकाण्डीय बन्धनों से मुक्त करते हुए तर्क, अनुभव, नैतिकता और लोककल्याण से जोड़ने का प्रयास किया।

भगवान बुद्ध ने मनुष्य की समस्याओं को जन्म, जाति अथवा दैवी विधान के आधार पर न समझकर कारण और परिणाम के आधार पर विश्लेषित किया। उनके उपदेशों में प्रत्यक्ष अनुभव, विवेकपूर्ण परीक्षण, मध्यम मार्ग, करुणा, समता तथा आत्मानुशासन का विशेष महत्त्व था। यही दृष्टिकोण आगे चलकर बौद्ध शिक्षा के दार्शनिक आधार के रूप में विकसित हुआ। बौद्ध विहार प्रारम्भ में भिक्षुओं के निवास और साधना-स्थल थे, किन्तु कालान्तर में वे शिक्षण, अध्ययन, विमर्श, अनुवाद और शोध के सुव्यवस्थित केन्द्र बन गए। नालन्दा महाविहार ने लगभग आठ शताब्दियों तक संगठित ज्ञान-परम्परा के संचार में योगदान दिया और बौद्ध मठीय तथा शैक्षणिक परम्पराओं के विकास का प्रमाण प्रस्तुत किया (UNESCO World Heritage Centre, 2016)।

आधुनिक भारत में उच्च शिक्षा के विस्तार के बावजूद विषयगत विखण्डन, सीमित संस्थागत स्वायत्तता, रटन्त अधिगम, गुणवत्तागत असमानता, शोध की कमजोर संस्कृति, रोजगारपरक कौशलों की कमी और मूल्यों से विच्छेद जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं। इन चुनौतियों के समाधान के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने उच्च शिक्षा की संरचना, पाठ्यचर्या, नियमन, शोध, शिक्षक शिक्षा तथा संस्थागत प्रशासन में व्यापक परिवर्तन प्रस्तावित किए हैं। नीति का लक्ष्य ऐसी उच्च शिक्षा व्यवस्था निर्मित करना है जो बहुविषयक, समग्र, लचीली, न्यायपूर्ण, प्रौद्योगिकी-सक्षम और वैश्विक गुणवत्ता वाली हो तथा साथ ही भारतीय संस्कृति और ज्ञान-परम्पराओं में निहित हो (भारत सरकार, 2020)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 द्वारा उदार कला, विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा, नैतिकता, भारतीय ज्ञान-प्रणाली, बहुभाषिकता, शोध और सामुदायिक सहभागिता के समन्वय पर बल दिया जाना प्राचीन भारतीय उच्च शिक्षा, विशेष रूप से बौद्ध महाविहारों की बहुविषयक परम्परा की पुनर्सृष्टि कराता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में रूपान्तरित करने के लिए ऐसे संस्थागत ढाँचे पर बल दिया है, जिसमें विद्यार्थी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, भाषा और व्यावसायिक क्षेत्रों का रचनात्मक संयोजन कर सकें (University Grants Commission [UGC], 2022)।

अतः यह आवश्यक है कि बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, जिससे यह समझा जा सके कि प्राचीन भारतीय उच्च शिक्षा की कौन-सी विशेषताएँ वर्तमान उच्च शिक्षा को अधिक गुणवत्तापूर्ण, मानवीय और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप बनाने में उपयोगी हो सकती हैं।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्त्व

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में भारत को ज्ञान-आधारित समाज तथा वैश्विक ज्ञान-महाशक्ति बनाने की आकांक्षा व्यक्त की गई है। इस लक्ष्य की प्राप्ति केवल विदेशी शिक्षा प्रतिमानों के अनुकरण से सम्भव नहीं है। इसके लिए भारत की अपनी ऐतिहासिक शैक्षिक उपलब्धियों, दार्शनिक आधारों और संस्थागत अनुभवों का सम्यक् अध्ययन आवश्यक है। नालन्दा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे संस्थानों ने उस समय अन्तरराष्ट्रीय उच्च शिक्षा का स्वरूप प्रस्तुत किया था, जब आधुनिक विश्वविद्यालयों की वर्तमान संरचना विकसित नहीं हुई थी।

बौद्धकालीन शिक्षा में तर्क-विमर्श, शास्त्रार्थ, सामूहिक जीवन, अनुशासन, शिक्षक के प्रति सम्मान, निःशुल्क आवासीय व्यवस्था, पुस्तकालय, अनुवाद, शोध तथा अन्तरराष्ट्रीय विद्यार्थी समुदाय जैसी विशेषताएँ विद्यमान थीं। इन विशेषताओं का अध्ययन समकालीन उच्च शिक्षा में आवासीय विद्वत् समुदाय, मार्गदर्शक-आधारित शिक्षण, नैतिक शिक्षा, बहुविषयक पाठ्यक्रम, शोध-संस्कृति और अन्तरराष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए उपयोगी हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, प्राचीन व्यवस्था का आदर्शीकरण किए बिना उसकी सीमाओं/जैसे मठ-केन्द्रितता, सीमित सामाजिक पहुँच, स्त्रियों की असमान भागीदारी, धार्मिक संस्थाओं पर निर्भरता और आधुनिक वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी का अभाव का आलोचनात्मक अध्ययन भी आवश्यक है। तुलनात्मक अध्ययन का उद्देश्य प्राचीन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना नहीं, बल्कि उसके उपयोगी तत्वों को वर्तमान लोकतांत्रिक, समतामूलक और तकनीकी परिवेश के अनुरूप पुनर्व्याख्यायित करना है।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. बौद्धकालीन उच्च शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करना।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में उच्च शिक्षा से सम्बन्धित प्रावधानों का विश्लेषण करना।
3. दोनों शिक्षा व्यवस्थाओं के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, शिक्षण-पद्धति, संस्थागत स्वरूप तथा मूल्यांकन की तुलना करना।

4. बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था और राष्ट्रीय शिक्षा नीतिदृष्टि 2020 में निहित समानताओं एवं भिन्नताओं की पहचान करना।
5. बौद्धकालीन उच्च शिक्षा के उपयोगी तत्त्वों को वर्तमान उच्च शिक्षा में समाहित करने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध-पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन गुणात्मक प्रकृति का है। इसमें ऐतिहासिक, वर्णनात्मक तथा तुलनात्मक शोध-पद्धति का प्रयोग किया गया है। अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। बौद्धकालीन शिक्षा के अध्ययन के लिए प्राचीन भारतीय शिक्षा से सम्बन्धित ऐतिहासिक ग्रन्थों, बौद्ध साहित्य, यात्रियों के विवरणों, नालन्दा एवं अन्य महाविहारों से सम्बन्धित अध्ययनों और आधुनिक शोध-लेखों का उपयोग किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अध्ययन के लिए भारत सरकार द्वारा प्रकाशित मूल नीति-दस्तावेज, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देश तथा उच्च शिक्षा से सम्बन्धित आधिकारिक दस्तावेजों का विश्लेषण किया गया है।

तुलना के लिए शिक्षा के उद्देश्य, प्रवेश, संस्थागत संरचना, पाठ्यक्रम, अध्यापन, शिक्षक की भूमिका, विद्यार्थी की भूमिका, अनुशासन, मूल्यांकन, शोध, बहुभाषिकता, कौशल, अन्तरराष्ट्रीयकरण, समावेशन और वित्तपोषण जैसे मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं। तथ्यों की व्याख्या ऐतिहासिक सन्दर्भ और समकालीन उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की गई है।

बौद्धकालीन शिक्षा का दार्शनिक आधार

बौद्ध शिक्षा का आधार बुद्ध के दार्शनिक और नैतिक विचारों में निहित था। चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, प्रतीत्यसमुत्पाद, अनित्यता, अनात्मवाद, मध्यम मार्ग, करुणा, मैत्री और अहिंसा बौद्ध शिक्षा की मूल्य-दृष्टि को निर्धारित करते थे। शिक्षा का उद्देश्य केवल शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि अज्ञान, तृष्णा और दुःख से मुक्ति के लिए विवेक विकसित करना था।

बौद्ध दर्शन में किसी विचार को केवल परम्परा, ग्रन्थ या गुरु के कथन के आधार पर स्वीकार करने की अपेक्षा उसके परीक्षण, अनुभव और विवेकपूर्ण विश्लेषण पर बल दिया गया। इस दृष्टिकोण ने प्रश्न पूछने, संवाद करने और तर्क प्रस्तुत करने की संस्कृति को प्रोत्साहित किया। फलस्वरूप बौद्ध शिक्षा में वाद-विवाद, प्रश्नोत्तर, व्याख्या और स्वाध्याय का महत्त्व बढ़ा।

बौद्ध शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के चरित्र, प्रज्ञा और करुणा का विकास था। शील, समाधि और प्रज्ञा के माध्यम से विद्यार्थी को आत्मसंयम, एकाग्रता तथा यथार्थ-बोध की ओर अग्रसर किया जाता था। शिक्षा व्यक्तिगत मुक्ति के साथ सामाजिक कल्याण से भी जुड़ी थी। भिक्षुओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे ज्ञान अर्जित करके समाज में नैतिकता, शान्ति और सह-अस्तित्व की भावना का प्रसार करें।

बौद्धकालीन उच्च शिक्षा के प्रमुख केन्द्र

- **नालन्दा महाविहारः—** नालन्दा बौद्धकालीन उच्च शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केन्द्र था। यह केवल धार्मिक मठ नहीं, बल्कि संगठित आवासीय विश्वविद्यालय के समान विकसित संस्थान था। यहाँ भारत के विभिन्न क्षेत्रों के साथ चीन, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका, दक्षिण-पूर्व एशिया और मध्य एशिया से विद्यार्थी एवं विद्वान आते थे। नालन्दा के पुरातात्विक अवशेष इसकी सुनियोजित शैक्षणिक संरचना, विहारों, पूजा-स्थलों और अध्ययन-परिसरों को प्रमाणित करते हैं। यूनेस्को के अनुसार नालन्दा ने दीर्घकाल तक ज्ञान के संगठित प्रसार तथा एशिया की मठीय और शैक्षणिक परम्पराओं को प्रभावित किया (UNESCO World Heritage Centre, 2016)। नालन्दा में बौद्ध धर्म की विभिन्न शाखाओं के अतिरिक्त व्याकरण, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, दर्शन, वेद, ज्योतिष, गणित, साहित्य और भाषाओं का अध्ययन किया जाता था। प्रवेश के लिए द्वार-पण्डितों द्वारा मौखिक परीक्षा और शास्त्रार्थ लिया जाता था। इससे स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा में प्रवेश योग्यता और बौद्धिक तैयारी पर आधारित था। संस्थान में विशाल पुस्तकालय, विद्वान आचार्य, व्याख्यान-कक्ष, छात्रावास और अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध था।
- **विक्रमशिला महाविहारः—** विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल शासकों के संरक्षण में हुई। यह तन्त्रयान, दर्शन, तर्कशास्त्र, व्याकरण और बौद्ध धर्म के उच्च अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ शिक्षा और शोध के साथ विदेशी क्षेत्रों में विद्वानों को भेजने की परम्परा भी थी। आचार्य दीपकर श्रीज्ञान अतिथि जैसे विद्वानों ने तिब्बत में बौद्ध शिक्षा और संस्कृति के विकास में योगदान दिया। इस प्रकार विक्रमशिला ने ज्ञान के अन्तरराष्ट्रीय प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- **वल्लभी:**— वल्लभी पश्चिमी भारत का प्रमुख शिक्षा केन्द्र था। यहाँ बौद्ध अध्ययन के साथ राजनीति, प्रशासन, कानून, अर्थशास्त्र और व्यावहारिक विषयों का अध्ययन कराया जाता था। वल्लभी से शिक्षित व्यक्तियों को राजकीय सेवाओं और प्रशासन में सम्मानजनक स्थान प्राप्त होता था। इससे ज्ञात होता है कि बौद्धकालीन उच्च शिक्षा केवल आध्यात्मिक जीवन तक सीमित नहीं थी, बल्कि शासन और सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं से भी सम्बन्धित थी।
- **ओदन्तपुरी, सोमपुर और जगदल:**— ओदन्तपुरी, सोमपुर और जगदल जैसे महाविहार भी बौद्ध शिक्षा, पाण्डुलिपि—लेखन, अनुवाद तथा विद्वत् विमर्श के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे। इन संस्थानों के मध्य आचार्यों, विद्यार्थियों और ग्रन्थों का आदान—प्रदान होता था। इसे प्राचीन उच्च शिक्षा के संस्थागत नेटवर्क के रूप में देखा जा सकता है।

बौद्धकालीन उच्च शिक्षा की प्रमुख विशेषताएँ

- **आवासीय शिक्षा:**— बौद्ध महाविहारों में विद्यार्थी और शिक्षक एक ही परिसर में निवास करते थे। इससे शिक्षा कक्षा तक सीमित नहीं रहती थी। भोजन, अध्ययन, चर्चा, साधना, सेवा और दैनिक जीवन सभी शिक्षा के अंग थे। आवासीय व्यवस्था ने विद्वत् समुदाय, अनुशासन, सहयोग और निरन्तर बौद्धिक संवाद को सम्भव बनाया।
- **बहुविषयक पाठ्यक्रम:**— यद्यपि बौद्ध धर्म और दर्शन प्रमुख विषय थे, फिर भी पाठ्यक्रम में व्याकरण, भाषा, चिकित्सा, तर्कशास्त्र, गणित, खगोलशास्त्र, साहित्य, कला तथा प्रशासनिक ज्ञान सम्मिलित था। अतः बौद्धकालीन उच्च शिक्षा को पूर्णतः एकविषयक नहीं कहा जा सकता। इसका लक्ष्य विद्यार्थियों को व्यापक बौद्धिक दृष्टि प्रदान करना था।
- **शिक्षण की संवादात्मक पद्धति:**— व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, वाद—विवाद, शास्त्रार्थ, स्मरण, मनन, निदिध्यासन, स्वाध्याय, भ्रमण और व्यावहारिक अभ्यास शिक्षण की प्रमुख विधियाँ थीं। शिक्षक विषय की व्याख्या करता था, किन्तु विद्यार्थी से प्रश्न पूछने, तर्क करने और निष्कर्ष तक पहुँचने की अपेक्षा भी की जाती थी।
- **शिक्षक का उच्च स्थान:**— आचार्य और उपाध्याय केवल विषय—विशेषज्ञ नहीं, बल्कि चरित्र—निर्माता और जीवन—मार्गदर्शक भी होते थे। शिक्षक विद्यार्थियों के अध्ययन, अनुशासन, स्वास्थ्य, आचरण और आध्यात्मिक प्रगति का ध्यान रखता था। शिक्षक का अधिकार उसके ज्ञान, आचरण और विद्वत्ता पर आधारित होता था।
- **कठोर प्रवेश एवं निरन्तर मूल्यांकन:**— नालन्दा जैसे संस्थानों में प्रवेश के लिए कठिन मौखिक परीक्षा होती थी। औपचारिक लिखित परीक्षा की आधुनिक व्यवस्था नहीं थी, परन्तु वाद—विवाद, कक्षा—चर्चा, ग्रन्थ—व्याख्या, स्मरण, तर्क और व्यावहारिक आचरण के आधार पर विद्यार्थियों की निरन्तर जाँच होती थी। इस प्रकार मूल्यांकन अधिगम—प्रक्रिया का अभिन्न अंग था।
- **निःशुल्क शिक्षा और सामाजिक सहयोग:**— महाविहारों को राजाओं, व्यापारियों, धनी नागरिकों तथा ग्रामों से दान और आर्थिक सहायता प्राप्त होती थी। विद्यार्थियों को सामान्यतः शिक्षा, भोजन, वस्त्र और आवास के लिए शुल्क नहीं देना पड़ता था। ज्ञान को सार्वजनिक और पुण्यकारी कार्य मानने की भावना ने शिक्षा के सामुदायिक वित्तपोषण को प्रोत्साहित किया।
- **अन्तरराष्ट्रीय स्वरूप:**— बौद्ध महाविहार विभिन्न देशों के विद्यार्थियों और विद्वानों को आकर्षित करते थे। ग्रन्थों का संस्कृत, पालि, चीनी और तिब्बती भाषाओं में अनुवाद किया जाता था। विदेशी यात्रियों तथा विद्यार्थियों के माध्यम से भारतीय दर्शन, चिकित्सा, तर्कशास्त्र और बौद्ध साहित्य का एशिया के अनेक देशों में प्रसार हुआ।
- **नैतिक एवं आध्यात्मिक अनुशासन:**— बौद्ध शिक्षा में अनुशासन बाहरी दण्ड पर नहीं, बल्कि आत्मसंयम और नैतिक नियमों पर आधारित था। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, संयम, करुणा, मैत्री और अपरिग्रह जैसे मूल्यों को व्यवहार में उतारने पर बल दिया जाता था। शिक्षा का लक्ष्य विद्वान व्यक्ति के साथ सदाचारी व्यक्ति का निर्माण करना था।
- **भाषा और ज्ञान का लोकतंत्रीकरण:**— बुद्ध ने जनसाधारण की भाषाओं में उपदेश देने पर बल दिया। इससे ज्ञान संस्कृत जैसी विशिष्ट विद्वत् भाषा तक सीमित नहीं रहा। पालि और विभिन्न प्राकृत भाषाओं के उपयोग ने शिक्षा और धर्मोपदेश को अपेक्षाकृत व्यापक समाज तक पहुँचाया। तथापि उच्च महाविहारों में संस्कृत का महत्त्व भी बना रहा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 में उच्च शिक्षा की अवधारणा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 उच्च शिक्षा को व्यक्तिगत और सामाजिक विकास, ज्ञान-सृजन, राष्ट्रीय निर्माण तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा का आधार मानती है। नीति के अनुसार उच्च शिक्षा को विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिन्तन, आलोचनात्मक विवेक, सृजनात्मकता, नैतिकता, संवैधानिक मूल्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, संचार-कौशल और व्यावसायिक दक्षता विकसित करनी चाहिए (भारत सरकार, 2020)।

नीति उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने, गुणवत्तापूर्ण संस्थानों का विस्तार करने, विषयगत विभाजनों को समाप्त करने, शोध-संस्कृति को मजबूत करने और संस्थानों को स्वायत्त बनाने का लक्ष्य प्रस्तुत करती है। प्रत्येक जिले में या उसके निकट बड़े बहुविषयक उच्च शिक्षा संस्थान विकसित करना नीति की महत्वपूर्ण दिशा है (UGC, 2022)।

- **बहुविषयक एवं समग्र शिक्षा:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 कला, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के बीच कठोर विभाजनों को समाप्त करना चाहती है। विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न विषयों का संयोजन कर सकते हैं। बहुविषयक शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं, बल्कि व्यक्ति के बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक, नैतिक और सौन्दर्यात्मक पक्षों का समन्वित विकास करना है। यूजीसी के दिशा-निर्देश भी उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में रूपान्तरित करने पर बल देते हैं (UGC, 2022)।
- **स्नातक शिक्षा में लचीलापन:** नीति में तीन या चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम, बहुप्रवेश-बहिर्गमन व्यवस्था, शैक्षणिक क्रेडिट बैंक, प्रमुख एवं गौण विषय तथा शोध-आधारित स्नातक उपाधि का प्रावधान है। विद्यार्थी निर्धारित अवधि पूर्ण करने पर प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा अथवा उपाधि प्राप्त कर सकता है। बहुप्रवेश-बहिर्गमन व्यवस्था का उद्देश्य शिक्षा छोड़ चुके विद्यार्थियों को पुनः उच्च शिक्षा से जुड़ने का अवसर देना है (UGC, 2021)।
- **संस्थागत पुनर्गठन:** नीति का लक्ष्य छोटे, एकविषयक और सम्बद्ध महाविद्यालयों के स्थान पर बड़े, स्वायत्त तथा बहुविषयक संस्थान विकसित करना है। दीर्घकाल में उच्च शिक्षा संस्थानों को शोध-प्रधान विश्वविद्यालय, शिक्षण-प्रधान विश्वविद्यालय और स्वायत्त उपाधि-प्रदान करने वाले महाविद्यालयों के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई है।
- **भारतीय ज्ञान-परम्परा:** नीति भारतीय भाषाओं, कला, संस्कृति, दर्शन, साहित्य, गणित, योग, आयुर्वेद और पारम्परिक ज्ञान-प्रणालियों के अध्ययन को प्रोत्साहित करती है। इसका उद्देश्य अतीत का गौरवगान करना मात्र नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान को आलोचनात्मक, वैज्ञानिक और समकालीन दृष्टि से पुनर्स्थापित करना है।
- **शोध एवं नवाचार:** उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शोध को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान की परिकल्पना की गई। नीति शोध को केवल विश्वविद्यालयों के विशिष्ट विभागों तक सीमित न रखकर स्नातक स्तर से ही शोध-अभिवृत्ति, समस्या-समाधान और नवाचार को प्रोत्साहित करती है।
- **प्रौद्योगिकी का प्रयोग:** ऑनलाइन शिक्षा, मुक्त दूरस्थ अधिगम, डिजिटल पुस्तकालय, आभासी प्रयोगशाला, शैक्षणिक मंच, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और शिक्षण प्रौद्योगिकी को उच्च शिक्षा के विस्तार एवं गुणवत्ता-वृद्धि के साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। साथ ही डिजिटल विभाजन को कम करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है।
- **शिक्षक की भूमिका:** नीति में शिक्षक को शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का केन्द्र माना गया है। शिक्षक को पाठ्यक्रम निर्माण, अध्यापन, शोध और संस्थागत निर्णयों में पर्याप्त स्वायत्तता देने का प्रस्ताव है। शिक्षकों की नियुक्ति, पदोन्नति और व्यावसायिक विकास को योग्यता, शोध तथा शिक्षण-प्रभावशीलता से जोड़ने पर बल दिया गया है।
- **मूल्य एवं संवैधानिक उत्तरदायित्व:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में नैतिकता, सत्यनिष्ठा, सेवा, सहानुभूति, करुणा, स्वच्छता, लोकतांत्रिक भावना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समानता और संवैधानिक मूल्यों को पाठ्यक्रम तथा संस्थागत संस्कृति में समाहित करने की बात कही गई है।

बौद्धिकालीन शिक्षा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का तुलनात्मक विश्लेषण

- **शिक्षा के उद्देश्य:** बौद्धिकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति को अज्ञान और दुःख से मुक्त कर नैतिक, विवेकशील तथा करुणामय बनाना था। शिक्षा आत्मानुशासन, प्रज्ञा, शील और सामाजिक कल्याण से जुड़ी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का उद्देश्य समग्र व्यक्तित्व-विकास, आलोचनात्मक चिन्तन,

सृजनात्मकता, नैतिकता, रोजगारपरक क्षमता, राष्ट्रीय उत्तरदायित्व तथा वैश्विक नागरिकता का विकास करना है।

दोनों व्यवस्थाओं में शिक्षा को केवल सूचना अथवा आजीविका तक सीमित नहीं माना गया है। दोनों व्यक्ति के बौद्धिक और नैतिक विकास पर बल देती हैं। अन्तर यह है कि बौद्ध शिक्षा का अन्तिम लक्ष्य आध्यात्मिक मुक्ति था, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का लक्ष्य लोकतांत्रिक समाज, ज्ञान-अर्थव्यवस्था, सतत् विकास, रोजगार, नवाचार और व्यक्तिगत उत्कर्ष का समन्वय है।

- **संस्थागत संरचना:-** बौद्धकालीन उच्च शिक्षा महाविहारों, संघों और मठों के माध्यम से संचालित होती थी। इनकी संरचना आवासीय और सामुदायिक थी। आधुनिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति विश्वविद्यालयों, स्वायत्त महाविद्यालयों, शोध-संस्थानों, ऑनलाइन मंचों और बहुविषयक परिसरों की संरचना प्रस्तुत करती है।

दोनों में बड़े ज्ञान-केन्द्रों और विद्वत् समुदाय की अवधारणा समान है। नालन्दा जैसे महाविहार अनेक विषयों, पुस्तकालयों, आवासों और अन्तरराष्ट्रीय विद्यार्थियों वाले व्यापक परिसर थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी बड़े बहुविषयक संस्थानों को विकसित करने का लक्ष्य रखती है। भिन्नता यह है कि आधुनिक संस्थान विधिक, लोकतांत्रिक, नियामकीय और प्रौद्योगिकीय ढाँचे के अन्तर्गत संचालित होते हैं।

- **पाठ्यक्रम का स्वरूप:-** बौद्ध महाविहारों में धार्मिक दर्शन के साथ तर्क, व्याकरण, चिकित्सा, गणित, भाषा और कला का अध्ययन किया जाता था। इससे उनके पाठ्यक्रम में बहुविषयकता दिखाई देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भी कला और विज्ञान, अकादमिक और व्यावसायिक तथा सैद्धान्तिक और व्यावहारिक शिक्षा के विभाजन को समाप्त करना चाहती है।

दोनों व्यवस्थाओं में व्यापक ज्ञान-दृष्टि के विकास पर बल है। तथापि आधुनिक नीति में संगणक विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण विज्ञान, प्रबन्धन, संचार, उद्यमिता और नवीन व्यावसायिक क्षेत्रों का समावेश है, जो प्राचीन व्यवस्था में उपलब्ध नहीं थे।

- **शिक्षण-पद्धति:-** बौद्धकालीन शिक्षण में प्रश्नोत्तर, वाद-विवाद, व्याख्यान, स्वाध्याय, स्मरण, मनन और प्रत्यक्ष अनुभव का प्रयोग किया जाता था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 अनुभववात्मक, खोजपरक, चर्चा-आधारित, विश्लेषणात्मक और समस्या-समाधान केन्द्रित शिक्षण पर बल देती है।

यहाँ दोनों के बीच स्पष्ट समानता है। बौद्ध शास्त्रार्थ आधुनिक संगोष्ठी, समूह-चर्चा और मौखिक प्रतिरक्षा का प्राचीन रूप माना जा सकता है। अन्तर यह है कि आधुनिक शिक्षण में प्रयोगशाला, डिजिटल मंच, बहुमाध्यम सामग्री, आभासी कक्षा और डेटा-आधारित अधिगम भी सम्मिलित हैं।

- **शिक्षक की भूमिका:-** बौद्ध शिक्षा में आचार्य ज्ञानदाता, नैतिक आदर्श, मार्गदर्शक और अनुशासक था। शिक्षक-विद्यार्थी सम्बन्ध निकट, व्यक्तिगत और दीर्घकालिक था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षक को अधिगम-सुविधादाता, शोधकर्ता, परामर्शदाता, नवाचारी तथा संस्थागत सहभागी के रूप में देखती है।

दोनों में शिक्षक की विद्वत्ता, चरित्र और मार्गदर्शन का महत्त्व स्वीकार किया गया है। आधुनिक संदर्भ में शिक्षक के उत्तरदायित्व को व्यावसायिक मानकों, अकादमिक स्वतंत्रता, प्रौद्योगिकीय दक्षता और सतत् व्यावसायिक विकास से भी जोड़ा गया है।

- **विद्यार्थी की भूमिका:-** बौद्ध महाविहारों में विद्यार्थी से अनुशासित जीवन, स्वाध्याय, गुरु-सेवा, वाद-विवाद और सामूहिक उत्तरदायित्व की अपेक्षा की जाती थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यार्थी को अपनी रुचि के विषय चुनने, पाठ्यक्रम संयोजन करने, क्रेडिट अर्जित करने, शोध करने तथा नवाचार में भाग लेने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

बौद्ध व्यवस्था में विद्यार्थी की स्वायत्तता बौद्धिक विमर्श में दिखाई देती थी, जबकि आधुनिक नीति में अकादमिक विकल्पों और शैक्षणिक गतिशीलता के रूप में भी विद्यार्थी-स्वायत्तता उपलब्ध है।

- **प्रवेश व्यवस्था:-** नालन्दा जैसे महाविहारों में प्रवेश कठिन मौखिक परीक्षा और विद्वत् परीक्षण के आधार पर होता था। प्रवेश की गुणवत्ता उच्च थी, किन्तु अवसर सीमित थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति व्यापक पहुँच, समान अवसर, छात्रवृत्ति, डिजिटल शिक्षा और बहुप्रवेश व्यवस्था के माध्यम से उच्च शिक्षा का लोकतंत्रीकरण करना चाहती है।

अतः बौद्ध व्यवस्था गुणवत्तापरक चयन पर अधिक केन्द्रित थी, जबकि आधुनिक नीति गुणवत्ता के साथ व्यापकता और समावेशन का संतुलन स्थापित करना चाहती है।

- **अनुशासन और मूल्य शिक्षा:**— बौद्ध शिक्षा विनय, शील, आत्मसंयम, अहिंसा, करुणा और सत्य पर आधारित थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नैतिकता, संवैधानिक मूल्यों, सेवा, सहानुभूति, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व देती है।

दोनों में आन्तरिक अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व की समानता है। अन्तर यह है कि आधुनिक मूल्य—शिक्षा धार्मिक अनुशासन के स्थान पर संविधान, मानवाधिकार, बहुलता, लैंगिक समानता और लोकतांत्रिक नागरिकता से सम्बद्ध है।

- **भाषा एवं बहुभाषिकता:**— बौद्ध शिक्षा में पालि, प्राकृत और संस्कृत का उपयोग हुआ तथा ग्रन्थों का चीनी और तिब्बती भाषाओं में अनुवाद किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा, भारतीय भाषाओं, संस्कृत, अनुवाद और बहुभाषिक शिक्षा को प्रोत्साहन देती है।

दोनों में भाषा को ज्ञान के प्रसार और सांस्कृतिक सम्पर्क का माध्यम माना गया है। आधुनिक नीति में तकनीकी एवं वैज्ञानिक शब्दावली, डिजिटल अनुवाद और भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा सामग्री विकसित करने की अतिरिक्त चुनौती है।

- **शोध और ज्ञान—सृजन:**— बौद्ध महाविहारों में दर्शन, तर्क, चिकित्सा, भाषा और धर्म के विषय में टीकाएँ, भाष्य, अनुवाद और मौलिक ग्रन्थ रचे जाते थे। विद्वानों के मध्य विमर्श से नए सिद्धान्त विकसित होते थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति शोध, नवाचार, अन्तरविषयक अनुसंधान और सामाजिक समस्याओं के समाधान पर बल देती है।

दोनों व्यवस्थाएँ ज्ञान को स्थिर न मानकर विकसित होने वाली प्रक्रिया मानती हैं। आधुनिक शोध में प्रयोगात्मक विधि, सांख्यिकीय विश्लेषण, वैज्ञानिक प्रयोगशालाएँ, पेटेंट, उद्योग—सहयोग और प्रौद्योगिकीय नवाचार का विस्तार अधिक है।

- **अन्तरराष्ट्रीयकरण:**— नालन्दा और विक्रमशिला में अनेक देशों से विद्यार्थी आते थे तथा भारतीय विद्वान विदेशों में ज्ञान का प्रसार करते थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग, विद्यार्थी एवं शिक्षक विनिमय, शोध—साझेदारी और भारत को वैश्विक अध्ययन—गन्तव्य बनाने की बात करती है।

प्राचीन महाविहार सांस्कृतिक और बौद्धिक आकर्षण के कारण अन्तरराष्ट्रीय बने थे। आधुनिक अन्तरराष्ट्रीयकरण में प्रत्यायन, वैश्विक रैंकिंग, संयुक्त उपाधि, डिजिटल सहयोग और शैक्षणिक गतिशीलता जैसे औपचारिक माध्यम सम्मिलित हैं।

- **वित्तपोषण:**— बौद्ध महाविहारों को राजकीय संरक्षण, भूमि—अनुदान, ग्रामों की आय और जनदान से संसाधन प्राप्त होते थे। विद्यार्थी सामान्यतः निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते थे। आधुनिक उच्च शिक्षा सरकार, निजी क्षेत्र, शुल्क, शोध—अनुदान और परोपकारी सहयोग से वित्तपोषित होती है।

दोनों में समाज और राज्य की भागीदारी महत्वपूर्ण है। वर्तमान व्यवस्था में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि निजीकरण और बढ़ती लागत शिक्षा की समान उपलब्धता को बाधित न करें।

- **समावेशन:**— बौद्ध धर्म ने जन्म और जाति की अपेक्षा आचरण तथा योग्यता को महत्व दिया। इससे शिक्षा के सामाजिक आधार में कुछ विस्तार हुआ। भिक्षुणी संघ ने स्त्रियों के धार्मिक एवं शैक्षिक जीवन के लिए भी मार्ग खोला, यद्यपि व्यवहार में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के समान नहीं थी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों, स्त्रियों, दिव्यांग विद्यार्थियों, ग्रामीण क्षेत्रों और भाषायी अल्पसंख्यकों की उच्च शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने का लक्ष्य प्रस्तुत करती है। आधुनिक नीति का समावेशन संवैधानिक समानता, सामाजिक न्याय और आरक्षण जैसी व्यवस्थाओं से जुड़ा है, अतः इसका दायरा प्राचीन व्यवस्था से अधिक व्यापक है।

- **मूल्यांकन:**— बौद्ध शिक्षा में मौखिक परीक्षा, वाद—विवाद, ग्रन्थ—व्याख्या, स्मरण और आचरण के माध्यम से निरन्तर मूल्यांकन होता था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति उच्च—दाँव वाली परीक्षाओं पर निर्भरता कम करके सतत, योग्यता—आधारित और अधिगम—परिणाम केन्द्रित मूल्यांकन की अपेक्षा करती है।

दोनों में केवल अन्तिम परीक्षा की अपेक्षा अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी की क्षमता को समझने की सम्भावना है। आधुनिक शिक्षा में लिखित परीक्षा, परियोजना, क्षेत्रकार्य, डिजिटल मूल्यांकन, प्रस्तुतीकरण और शोध—प्रबन्ध जैसे विविध साधन उपलब्ध हैं।

प्रमुख समानताएँ

बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के बीच निम्न प्रमुख समानताएँ दिखाई देती हैं—

- दोनों व्यवस्थाएँ शिक्षा को समग्र व्यक्तित्व-विकास का माध्यम मानती हैं। बौद्ध शिक्षा में शील, समाधि और प्रज्ञा का समन्वय था, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बौद्धिक, भावनात्मक, नैतिक, शारीरिक और सामाजिक विकास पर बल देती है।
- दोनों में बहुविषयक अध्ययन की स्वीकृति है। बौद्ध महाविहारों में दर्शन के साथ चिकित्सा, व्याकरण, तर्क और गणित पढ़ाया जाता था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कला, विज्ञान, तकनीक, मानविकी और व्यावसायिक शिक्षा के समन्वय का प्रस्ताव करती है।
- दोनों में संवाद, प्रश्न, तर्क और स्वाध्याय को महत्त्व प्राप्त है। बौद्ध शास्त्रार्थ तथा आधुनिक चर्चा-आधारित अधिगम दोनों विद्यार्थी को सक्रिय ज्ञान-निर्माता मानते हैं।
- दोनों व्यवस्थाएँ शिक्षक को केवल सूचना प्रदाता नहीं, बल्कि मार्गदर्शक और व्यक्तित्व-निर्माता मानती हैं।
- नैतिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व, करुणा, सहयोग और अनुशासन दोनों व्यवस्थाओं के महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं।
- दोनों में अन्तरराष्ट्रीय ज्ञान-विनिमय की भावना विद्यमान है। बौद्ध महाविहार एशियाई ज्ञान-संवाद के केन्द्र थे, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को वैश्विक उच्च शिक्षा केन्द्र के रूप में विकसित करना चाहती है।
- मातृभाषा, भारतीय भाषाओं, अनुवाद और सांस्कृतिक ज्ञान के प्रसार को दोनों संदर्भों में महत्त्व प्राप्त है।

प्रमुख भिन्नताएँ

प्रमुख भिन्नताएं निम्नवत् हैं—

- बौद्धकालीन शिक्षा मुख्यतः धार्मिक-मठिय संस्थानों में संचालित होती थी, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति धर्मनिरपेक्ष, संवैधानिक और लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च शिक्षा का ढाँचा प्रस्तुत करती है।
- बौद्ध शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य निर्वाण और आध्यात्मिक प्रज्ञा था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ज्ञान, रोजगार, वैज्ञानिक चिन्तन, शोध, नवाचार, राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सहित अनेक उद्देश्यों का समन्वय करती है।
- प्राचीन व्यवस्था सीमित संख्या में विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध थी। आधुनिक नीति उच्च शिक्षा के व्यापक प्रसार और सार्वभौमिक अवसर की दिशा में कार्य करती है।
- बौद्धकाल में प्रत्यक्ष आवासीय शिक्षा प्रमुख थी, जबकि आधुनिक व्यवस्था प्रत्यक्ष, ऑनलाइन, मिश्रित और दूरस्थ शिक्षा के अनेक माध्यम स्वीकार करती है।
- प्राचीन शिक्षा में आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान, औद्योगिक तकनीक और डिजिटल प्रौद्योगिकी का अभाव था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन्नत विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अधिगम तथा तकनीकी नवाचार को उच्च शिक्षा का अनिवार्य अंग मानती है।
- बौद्धकालीन संस्थाओं का वित्तपोषण दान और राजकीय संरक्षण पर निर्भर था। आधुनिक संस्थानों में सार्वजनिक बजट, निजी निवेश, शुल्क, शोध-अनुदान और उद्योग-सहयोग की जटिल व्यवस्था है।

वर्तमान उच्च शिक्षा के लिए बौद्ध शिक्षा की प्रासंगिकता

वर्तमान शिक्षा में ज्ञान और कौशल की वृद्धि हुई है, किन्तु नैतिकता, संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व का संकट दिखाई देता है। बौद्ध मूल्यों करुणा, मैत्री, अहिंसा, सम्यक् दृष्टि और आत्मसंयम को किसी धार्मिक उपदेश के रूप में नहीं, बल्कि सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों के रूप में उच्च शिक्षा में समाहित किया जा सकता है।

विश्वविद्यालयों में व्याख्यान-प्रधान शिक्षण की अपेक्षा संगोष्ठी, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तर, पाठ-विश्लेषण और सहपाठी अधिगम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बौद्ध शास्त्रार्थ की परम्परा आधुनिक आलोचनात्मक चिन्तन और शैक्षणिक स्वतंत्रता के लिए प्रेरक हो सकती है। नालन्दा जैसे संस्थानों में शिक्षक और विद्यार्थी निरन्तर बौद्धिक समुदाय का भाग थे। आधुनिक विश्वविद्यालयों में छात्रावास, अध्ययन-मण्डल, शिक्षक-परामर्श, सांस्कृतिक संवाद और शोध-समुदाय को मजबूत करके शिक्षा को कक्षा से बाहर विस्तारित किया जा सकता है।

बौद्ध महाविहारों में धर्म, तर्क, चिकित्सा, भाषा और गणित का सह-अस्तित्व था। आधुनिक उच्च शिक्षा में भी पर्यावरण, स्वास्थ्य, तकनीक, नैतिकता, समाज और अर्थव्यवस्था की जटिल समस्याओं के समाधान के लिए बहुविषयक अध्ययन आवश्यक है। प्राचीन आचार्य विद्यार्थी के व्यक्तिगत और बौद्धिक विकास का मार्गदर्शन करता था। आधुनिक उच्च शिक्षा में औपचारिक मार्गदर्शन प्रणाली, शैक्षणिक परामर्श, शोध-मार्गदर्शन और मानसिक स्वास्थ्य सहायता को संस्थागत बनाया जाना चाहिए।

प्राचीन भारत ने ज्ञान को सीमाओं से परे साझा किया। वर्तमान विश्वविद्यालयों को विदेशी विद्यार्थियों के लिए भारतीय भाषाओं, बौद्ध दर्शन, योग, आयुर्वेद, पर्यावरणीय ज्ञान और भारतीय ज्ञान-प्रणालियों के गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम विकसित करने चाहिए। बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य समाज में दुःख को कम करना था। आधुनिक शोध को भी केवल प्रकाशन और रैंकिंग तक सीमित न रखकर गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, असमानता, ग्रामीण विकास और सामाजिक शान्ति जैसी समस्याओं से जोड़ना चाहिए।

निष्कर्ष

बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था भारतीय उच्च शिक्षा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण थी। इस काल में शिक्षा ने मटीय निवास से आगे बढ़कर सुव्यवस्थित संस्थागत, बहुविषयक, आवासीय और अन्तरराष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण किया। नालन्दा, विक्रमशिला, वल्लभी और अन्य महाविहारों ने ज्ञान-सृजन, अनुवाद, दर्शन, तर्क, चिकित्सा और सांस्कृतिक संवाद की समृद्ध परम्परा विकसित की। इन संस्थानों में शिक्षा का लक्ष्य केवल बौद्धिक क्षमता नहीं, बल्कि शील, प्रज्ञा, करुणा, अनुशासन और लोककल्याण था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 आधुनिक भारतीय उच्च शिक्षा को बहुविषयक, समग्र, लचीला, शोधोन्मुख, मूल्यपरक और अन्तरराष्ट्रीय बनाने का महत्वाकांक्षी प्रयास है। नीति में भारतीय ज्ञान-परम्परा, बहुभाषिकता, शिक्षक स्वायत्तता, शोध, विद्यार्थी विकल्प, कौशल, प्रौद्योगिकी और समावेशन का समन्वय दिखाई देता है। इस दृष्टि से नीति के अनेक प्रावधान बौद्धकालीन उच्च शिक्षा की समग्रता, बहुविषयकता और विद्वत् समुदाय की परम्परा से वैचारिक साम्य रखते हैं।

फिर भी दोनों व्यवस्थाओं के ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ भिन्न हैं। बौद्ध शिक्षा मटीय और आध्यात्मिक परिवेश में विकसित हुई, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लोकतांत्रिक संविधान, वैज्ञानिक प्रगति, तकनीकी परिवर्तन, सामाजिक न्याय और व्यापक जनभागीदारी पर आधारित है। अतः बौद्धकालीन व्यवस्था को यथावत् अपनाना न सम्भव है और न वांछनीय। उसकी प्रासंगिकता उसके मूल मानवीय और शैक्षणिक सिद्धान्तों में है।

समकालीन उच्च शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि ज्ञान को मूल्य से, शोध को लोककल्याण से, शिक्षक को मार्गदर्शन से, विद्यार्थी को अनुशासन और स्वतंत्र चिन्तन से तथा विश्वविद्यालय को समाज और विश्व से जोड़ना आवश्यक है। बौद्धकालीन करुणा, संवाद, विवेक, बहुविषयकता और ज्ञान-साधना को आधुनिक विज्ञान, डिजिटल प्रौद्योगिकी, संवैधानिक मूल्यों, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय के साथ समन्वित किया जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की दृष्टि को अधिक प्रभावी रूप से साकार किया जा सकता है। इस प्रकार भारत अपनी प्राचीन ज्ञान-परम्परा की शक्ति और आधुनिक शिक्षा की उपलब्धियों के समन्वय से एक मानवीय, न्यायपूर्ण और विश्वस्तरीय उच्च शिक्षा व्यवस्था विकसित कर सकता है।

संदर्भ सूची

- Altekar, A. S. (1944). *Education in ancient India*. Nand Kishore & Brothers.
भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय. (2020). 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020'. भारत सरकार।
- Dutt, S. (1962). *Buddhist monks and monasteries of India: Their history and their contribution to Indian culture*. George Allen & Unwin.
- Keay, F. E. (1918). *Ancient Indian education: An inquiry into its origin, development, and ideals*. Oxford University Press.
- Mookerji, R. K. (1947). *Ancient Indian education: Brahmanical and Buddhist*. Motilal Banarsidass.
- Rhys Davids, T. W. (1903). *Buddhist India*. T. Fisher Unwin.
- Scharfe, H. (2002). *Education in ancient India*. Brill.
- University Grants Commission. (2021). *Guidelines for multiple entry and exit in academic programmes offered in higher education institutions*. Government of India.
- University Grants Commission. (2022). *Guidelines for transforming higher education institutions into multidisciplinary institutions*. Government of India.

University Grants Commission. (2022). Curriculum and credit framework for undergraduate programmes. Government of India.

UNESCO World Heritage Centre. (2016). Archaeological site of Nalanda Mahavihara at Nalanda, Bihar. UNESCO.

वर्मा, बी. एस. (2012). 'भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास'. आगरा: विनोद पुस्तक मन्दिर

शर्मा, आर. एन., एवं शर्मा, आर. के. (2015). 'भारतीय शिक्षा का इतिहास'. एटलांटिक पब्लिशर्स।

सिंह, एम. (2018). प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा की परम्परा और उसका समकालीन महत्त्व'. भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका, 12'(2), 45-56।